रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 1987/ज्येष्ठ 13, 1909
No. 275] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 1987/JYAISTHA 13, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

**जल संसाधन मंत्रालय**

नई दिल्ली, 3 जून, 1987

**अधिसूचना**

का.आ. 554(अ) :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 770(अ), तारीख 10 सितम्बर, 1980 द्वारा, अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के गठन के साथ-साथ नर्मदा जल स्कीम के नाम से ज्ञात स्कीम की रचना की थी ;

और नर्मदा दोणी में योजनाबद्ध नर्मदा घाटी और नर्मदा सागर, सरदार सरोवर और अन्य परियोजनाओं के विनियमित और व्यवस्थित विकास के प्रश्न पर संबद्ध राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जा चुका है और अन्य बातों के साथ-साथ नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और पुनर्विलोकन समिति की भूमिका बढ़ाने और गठन को सुदृढ़ करने के लिए एक करार किया गया है जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय किए गए जो आवश्यक या समीचीन हैं और निकाले गए तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए स्कीमें तैयार की जा सकें।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नर्मदा जल स्कीम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम नर्मदा जल (संशोधन) स्कीम 1987 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. नर्मदा जल स्कीम में,—

(1) पैरा 1 में, "नर्मदा जल स्कीम" शब्दों के स्थान पर "नर्मदा जल स्कीम, 1980" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(2) पैरा 2 में,—

(i) उपपैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) (क) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(i) सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय—अध्यक्ष

(ii) सचिव, भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, शक्ति विभाग—सदस्य

(iii) सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय—सदस्य

(iv) सचिव, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय--सदस्य

(v) मुख्य सचिव, गुजरात सरकार--सदस्य

(vi) मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार--सदस्य

(vii) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार--सदस्य

(viii) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार--सदस्य

(x) से (xi) तीन व्यक्तियों को, जो मुख्य इंजीनियर की पंक्ति से नीचे के न हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वतंत्र सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से एक प्राधिकरण का कार्यपालक सदस्य होगा--सदस्य

(xii) से (xv) सिंचाई विभाग, शक्ति विभाग या राज्य बिजली बोर्ड के प्रमुख इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर या भारसाधक अपर मुख्य इंजीनियर की पंक्ति के चार सदस्य, जिनमें से एक-एक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा--सदस्य

(ख) कार्यपालक सदस्य, अध्यक्ष के साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्य का भारसाधक होगा। यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार को खण्ड (ix) से (xv) के अधीन नियुक्त सदस्यों में से किसी को, यदि उसकी राय में उसका सदस्य के रूप में बने रहना उपयुक्त नहीं है, हटाने या निलंबित करने का शक्ति होगी।

(ग) ऐसी बैठकों में जहां एक से अधिक राज्य के हित को प्रभावित करने वाले किसी विषय पर विनिश्चय किया जाता है, वहां, अध्यक्ष या कार्यपालक सदस्य विमर्शित वोट के लिए हकदार होगा।

(घ) भारत सरकार के सचिव और राज्य सरकारों के मुख्य सचिव जब वे प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हों, तब वे अपने ऐसे प्रतिनिधि भेज सकेंगे जो यथास्थिति, अपर सचिव या अपर मुख्य सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों";

(ii) उप पैरा (4) के परन्तुक में, "किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्दों से आरंभ होने वाले और "अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;

(iii) उप पैरा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) कार्यपालक सदस्य, प्राधिकरण के कारबारी अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा। बीमारी की दशा में या अन्यथा, कार्यपालक सदस्य की अनुपस्थिति में, केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यपालक सदस्य के रूप में नियुक्त अगला ज्येष्ठ स्वतंत्र सदस्य, कारबारी अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा।"

3. पैरा 4 में, "पांच" और "तीन" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "दस" और "छह" शब्द रखे जाएंगे।

4. पैरा 5 में, उपपैरा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

(5) जहां भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव की यह राय हो कि प्राधिकरण का कोई विनिश्चय पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं से असंगत है, वहां मामला पुनर्विलोकन समिति के विनिश्चय के लिए आरक्षित रखा जाएगा।";

5. पैरा 9 में, —

(i) उपपैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा अर्थात् :—

"(1) प्राधिकरण की भूमिका मुख्यतः सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हर प्रकार से समन्वय करना और निदेश देना होगा जिसके अन्तर्गत इंजीनियरी संकर्म, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और पुनर्वास कार्यक्रम भी हैं तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि पूर्वोक्त परियोजनाओं के सुनिश्चित किए जाने के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुबंधित निबंधनों और शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया जाए।";

(ii) उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(2क) "प्राधिकरण एक या अधिक उप-समितियों का गठन कर सकेगा और उन्हें अपने ऐसे कृत्यों को समनुदिष्ट कर सकेगा और अपनी ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।";

6. पैरा 13 के उपपैरा (3), (4) और (6) में, "मुख्य इंजीनियरों" शब्दों के स्थान पर "मुख्य सचिवों" शब्द रखे जाएंगे।

7. पैरा 16 में, —

(i) उप पैरा (1) में, "किसी पक्षकार राज्य" शब्दों के दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, पश्चात् "या सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप पैरा (2) में, —

(क) "पांच" शब्द के स्थान पर "छह" शब्द रखें;

(ख) मद (1) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1-क) पर्यावरण और वन केंद्रीय मंत्री--सदस्य"

(ग) "सिंचाई मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "जल संसाधन मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 2/6/79-पी-1]
नरेश चन्द्र, सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 3rd June, 1987

## NOTIFICATION

S.O. 554(E).—Whereas the Central Government had framed the scheme known as the Narmada Water Scheme inter alia constituting the Narmada Control Authority in exercise of the powers conferred by secion 6A of the Inter State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) vide Notification of the Government of India, Ministry of Irrigation No. S.O. 770(E), dated the 10th September, 1980;

And whereas the question of regulated and orderly development of the Narmada Valley and the Narmada sagar, Sardar Sarovar and other Projects planned in the Narmada Basin has been further discussed with the State Governments concerned and the agreement has been reached inter alia to enlarge the role and strengthen the composition of the Narmada Control Authority and the Review Committee so as to take such measures as are necessary or expedient

for the protection of the environment and prepare schemes for the welfare and rehabilitation of oustees and other affected persons;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6A of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby further amends the Narmada Water Scheme, as follows, namely:—

1. (1) This scheme may be called the Narmada Water (Amendment) Scheme, 1987;

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Narmada Water Scheme,—

(1) in paragraph 1, for the words "Narmada Water Scheme", the words and figures "Narmada Water Scheme 1980". shall be substituted;

(2) in paragraph 2,—

(i) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) (a) The Authority shall consist of the following Members, namely:—

(i) Secretary to the Government of India, Ministry of Water Resources —Chairman

(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Energy, Department of Power —Member

(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests —Member

(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Welfare —Member

(v) Chief Secretary to the Government of Gujarat —Member

(vi) Chief Secretary to the Government of Madhya Pradesh —Member

(vii) Chief Secretary to the Government of Maharashtra —Member

(viii) Chief Secretary to the Government of Rajasthan —Member

(ix) to (xi) three persons not below the rank of Chief Engineer, to be appointed by the Central Government as Independent Members, one of whom shall be the Executive Member of the Authority —Member

(xii) to (xv) four persons of the rank of Engineer-in-Chief, Chief Engineer or Additional Chief Engineer in-charge of the Irrigation Department, the power Department or the State Electricity Board, one each to be appointed by the State Governments of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. —Member

(b) The Executive Member will be in-charge of the administrative work of the Authority under the general supervision and control of the Chairman. The Central Government, or as the case may be, the State Government shall have the power to remove or suspend any of the Member appointed under clauses (*ix*) to (*xv*), if in its opinion he is not suitable to continue as a Member.

(c) The Chairman and the Executive Member shall be entitled to a deliberative vote at meetings where decisions are taken on any matter affecting the interest of more than one State.

(d) The Secretaries to the Government of India and the Chief Secretaries to the Governments when unable to attend the meeting of the Authority may send their representatives not below the rank of the Additional Secretary, or as the case may be the Additional Chief Secretary.";

(ii) in the proviso to sub-paragraph (4), the portion beginning with the words "save and except" and ending with the words "absence of the Chairman of the Authority." shall be omitted.

(iii) after sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(5) The Executive Member shall preside over the business meeting of the Authority. In the absence of the Executive Member in the event of illness or otherwise, the next senior Independent Member appointed by the Central Government as the Executive Member, shall preside over the business meeting.";

3. in paragraph 4, for the words "Five" and "three", the words "Ten" and "six" shall, respectively, be substituted.

4. in paragraph 5, after sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(5) Where the Secretary to the Government of India Ministry of Environment and Forests, is of the opinion that any decision of the Authority is inconsistent with the needs of environmental protection, the matter shall be reserved for the decision of the Review Committee.";

5. in paragraph 9, —

(i) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) The role of the Authority will mainly comprise of overall coordination and direction of the implementation of all the projects including the enginnering works, the environmental protection measures and the rehabilitation programmes and to ensure the faithful compliance of the terms and conditions stipulated by the Central Government at the time of clearance of the aforesaid projects.";

(ii) after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"(2A) The Authority may constitute one or more sub-committees and assign to them such of its functions and delegate such of its powers as it thinks fit.";

6. in paragraph 13, in the sub-paragraphs (3), (4) and (6) for the words "Chief Engineers", the words "Chief Secretaries" shall be substituted;

7. in paragraph 16,—

(i) in sub paragraph (1), after the words "any party State", at both the places where they occur, the words "or Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests", shall be inserted;

(ii) in sub-paragraph (2), —

(a) for the word "five", the word 'six" shall be substituted;

(b) after *item* (*i*), the following *item* shall be inserted, namely:—

"(i-*a*) Union Minister of Environment and Forests

**Member**";

(c) for the words "Ministry of Irrigation", the words "Ministry of Water Resources" shall be substituted.

[No. 2|6|79-P-LI]

NARESH CHANDRA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987